राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक:ए 9(4)(33)उ.मै.छा./पोर्टल/कार्ययोजना/सान्याअवि/2021–22/3816 दिनांक : 03.08.2022

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2022–23 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग)/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्वघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा वेबसाईट **www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship** अथवा एसएसओ पोर्टल पर **SCHOLARSHIP SJE App** पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

क्र.सं.	विषय वस्तु	पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथि	नवीन निर्धारित अन्तिम तिथि
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन/ पूर्व में पंजीकृत की मान्यता अद्यतन करने के लिए अंतिम तिथि निर्धारित की जाती है।	31 जुलाई 2022	30 नवम्बर, 2022

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति संबंधी विस्तृत जानकारी sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship अथवा विभागीय वेबसाईट https://sje.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(हरि मोहन मीना)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:ए 9(4)(33)उ.मै.छा./सान्याअवि/पोर्टल/कार्ययोजना/2021–22/3817–37 दिनांक : 03.08.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:–

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।

3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा , जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग , जोधपुर।
9. जिला कलेक्टर्स/कोषाधिकारी, (समस्त)।
10. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
11. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
12. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय /निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त............... ।
13. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.......................... ।
14. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय समस्त................. ।
15. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त................................ ।
16. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.............................. ।
17. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (ACP) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
18. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोकतानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।
19. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
20. उप/सहायक निदेशक सान्याअवि समस्त को सूचनार्थ।
21. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)(33)उ.मै.छा./सान्याअवि/पोर्टल/कार्ययोजना/2021-22/ 3469 दिनांक : 16.06.2022

<u>आदेश</u>

शैक्षणिक सत्र 2022–23 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग)/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्वघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा वेबसाईट **www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship** अथवा एसएसओ पोर्टल पर **SCHOLARSHIP SJE App** पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है :–

क्र.सं.	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियां
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन/पूर्व में पंजीकृत की मान्यता एवं पाठयक्रमवार फीस स्ट्रक्चर अद्यतन करने हेतु पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि	**15 जून 2022**
2	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि	**01 जुलाई 2022**
2	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन/पूर्व में पंजीकृत की मान्यता एवं पाठयक्रमवार फीस स्ट्रक्चर अद्यतन करने हेतु अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि	**31 जुलाई 2022**

नवीन छात्रवृति पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2022–23 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किए जाते है :–

1. **<u>आय सीमाः–</u>**

(अ) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग–SBC) डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC), अन्य पिछडा वर्ग (OBC) एवं डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्वघुमन्तु (DNT) के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 2.50 लाख रू. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

(ब) डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC), अन्य पिछडा वर्ग (OBC) एवं डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्वघुमन्तु (DNT) में निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। ***जैसे– बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी. एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/ पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष***

योग्यजन की पुत्री/ पुत्र।(उक्त श्रेणी के गत परीक्षा में न्यनतम 60प्रतिशत प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी)

(स) मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 5.00 लाख रू. से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं (**विभाग द्वारा सूचीबद्ध)** में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

2. **<u>फीशिप कार्डः–</u>** अनुसूचित जाति (SC), डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC), अन्य पिछडा वर्ग (OBC) एवं डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्वघुमन्तु (DNT) के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को संस्थान में प्रवेश के समय बिना अग्रिम शुल्क जमा करवाये प्रवेश लिए जाने हेतु उन विद्यार्थियों को छात्रवृति सुनिश्चतता हेतु फीशिप कार्ड हेतु आवेदन किया जा सकता है। फीशिप कार्ड को सम्बंधित शिक्षण संस्थान द्वारा स्वीकार्य किये जाने पर विद्यार्थी का फीशिप कार्ड छात्रवृति आवेदन के रूप में स्वतः परिवर्तित होकर शिक्षण संस्थान के स्तर पर प्रदर्शित होगा।
3. **आवेदन प्रक्रियाः–** सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन स्वंय पासवर्ड सृजित कर अथवा ई–मित्र/साइबर कैफे/शैक्षणिक संस्थान से आवेदन करने पर समस्त प्रविष्टियों की जांच स्वंय कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो आवेदन पत्र को सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को ऑनलाईन फाइनल सबमिट करें ।
4. छात्र/छात्रा मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आईडी स्वंय की ही दें ।
5. **<u>दस्तावेजः–</u>** उक्तानुसार छात्रवृति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/सूचनाऐं तैयार रखना आवश्यक होगा सभी दस्तावेज जनाधार/राज ई वोल्ट/डीजी लॉकर से ऑनलाइन ही लिये जाएंगे **जैसे– आय का विवरण, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंकतालिकाऐं आदि।** वांछित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पर **<u>मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।</u>**

   जैसे – गत अंतिम परीक्षा की अंकतालिका, फीस की मूल रसीद, अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक हेतु चिन्हित श्रेणी अनुसार वांछित दंस्तावेज आदि।
6. **<u>विद्यार्थियों की आधारभूत सूचना व आय विवरण में परिवर्तन</u>** :– नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर, आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय का विवरण आदि जनाधार पोर्टल से ली जा रही है। विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकार्ड एवं जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता होने पर शैक्षणिक रिकार्ड के अनुसार जनाधार पोर्टल में अंकित सूचना में ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।
7. **जनाधार आई.डी. तथा आधार नम्बर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।**
8. **विद्यार्थी का बैंक विवरणः–** छात्रवृति आवेदन में विद्यार्थी स्वयं का ही खाता संख्या जनाधार के माध्यम से उपलब्ध करावें। अन्यथा छात्रवृति राशि जनाधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया के बैंक खाता में हस्तान्तरित होगी। विद्यार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसके द्वारा अंकित किया हुआ बैंक खाता निम्न प्रकार हैः–

   a. विद्यार्थी का बैंक खाता आधार बेस्ड अकाउण्ट ही हो।

   b. छात्रवृत्ति आवेदन आवेदन पत्र में जो खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है, वह बैंक नियमों के अनुसार के.वाई.सी. (KYC) पूर्ण स्वंय का खाता हो।

c. छात्र के खाते में लेन–देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय–अन्तराल में हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृति की कुल धनराशि छात्र के खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर के लिए कोई ऐसी सीमा (LIMIT) निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अन्तरण सम्भव न हो पाये।

d. बैक खाता बन्द न हो अर्थात बैंक नियमों के अनुसार न्यूनतम राशि सरकारी बैंक में 1000 एवं निजी बैंक में 5000 भुगतान के समय उपलब्ध हो।

e. यदि बैंक खाता माईनर है एवं छात्रवृति की राशि 25000 रूपये से ज्यादा है, तो बैंक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वयस्क खाते में परिवर्तित करावें।

9. **शुल्क संरचनाः–** शिक्षण संस्थान पोर्टल पर प्रदर्शित शुल्क संरचना पेज पर अंकित 8 मद यथा 1. पंजीकरण शुल्क (Registration Fee), 2. नामांकन शुल्क (Enrolment Fee), 3.शिक्षण शुल्क (Tuition Fee), 4.खेल–कूद शुल्क (Games Fee), 5.संगठन (यूनियन) शुल्क (Union Fee), 6.पुस्तकालय शुल्क (Library Fee), 7.पत्रिका शुल्क (Magazine Fee), 8.परीक्षा शुल्क (Examination Fee) का विवरण अंकित करेंगे। जिसके अनुसार ही उस पाठयक्रम के समस्त विद्यार्थियों को योजनान्तर्गत छात्रवृति देय होगी। अतः शैक्षणिक संस्थान इन 8 मद को सावधानी से पोर्टल पर अंकित करें। फीस की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा। अन्य देय फीसों का पुनर्भरण संभव नहीं होगा।

10. **<u>शिक्षण संस्थान व पाठ्यक्रम का चयन</u>ः–** आवेदन में केवल छात्रवृत्ति पोटल पर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान व उसके पाठ्क्रम आवेदन हेतु प्रदर्शित होंगे। विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान/पाठ्यक्रम/योजना अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वंय जिम्मेदार होगा।

11. **<u>विद्यार्थी की बायोमैट्रिक उपस्थिति</u>ः–** विद्यार्थी द्वारा आवेदन को शिक्षण संस्थान में प्रथम बार अग्रेषित किये जाने के पश्चात से ही विभाग द्वारा आवेदन का निस्तारण होने तक माह में कम से कम एक बार शिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर छात्रवृति पोर्टल पर बोयामैट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है। जिसके अभाव में आवेदन अग्रेषित एवं स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा। इस हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृति पोर्टल पर बायोमैट्रिक उपस्थिति डिवाइस पंजीकृत किया जाना होगा।

12. **<u>शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शन</u>ः–** जिन महाविद्यालयों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2022–23 की मान्यता/सम्बद्धता एवं पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन नहीं किया है वे संस्थाएं छात्रवृति पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित नहीं होगी। इसके अभाव में विभाग द्वारा महाविद्यालयों मे अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेगें।

13. वर्ष 2019–20 से राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र विद्यार्थी के गृह जिले (बोनाफाइड सर्टिफिकेट) के जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किये जाऐंगे। जयपुर जिले में सांगानेर ,झोटवाड़ा एवं आमेर तहसील के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (शहर) कार्यालय में एवं जयपुर जिले की अन्य तहसीलों (सांगानेर, झोटवाड़ा एवं आमेर तहसीलों को छोडकर) के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (ग्रामीण) कार्यालय में अग्रेषित (Forward) किये जायेंगे।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति संबंधी विस्तृत जानकारी **www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship** अथवा विभागीय बेब साइट पर एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9(4)(33)उ.मै.छा. / सान्याअवि / पोर्टल / कार्ययोजना / 2021-22 / सान्याअवि / 3470-91 दिनांक : 15.06.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा , जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / संस्कृत, बीकानेर / जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा / निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग , जोधपुर।
9. वरिष्ठ प्रोजैक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज.जयपुर।
10. जिला कलेक्टर्स / कोषाधिकारी, (समस्त)।
11. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
12. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
13. रजिस्ट्रार / डीन / निदेशक / प्रशासक, राजकीय / निजी विश्वविद्यालय / बोर्ड / काउंसिल, समस्त...............।
14. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) / संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त...।
15. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल / स्नातकोत्तर / स्नातक महाविद्यालय समस्त..........................।
16. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय / राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.............।
17. अधीक्षक राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त...............................।
18. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं..............................।
19. सिस्टम एनालिस्ट (JD) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई–मेल करवाने हेतु।
20. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोकतानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार करवाने तथा अपने जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
21. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
22. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)

आय का घोषणा पत्र

(पिता / माता / पति / पत्नी / संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)
उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में वर्ष 2022-23 के लिए

प्रारूप भाग–I

1. प्रार्थी (विद्यार्थी के पिता / माता / पति / पत्नी / संरक्षक) का नाम..
   पिता / पति का नाम श्री......................................आयु........वर्ष........माह ....
2. निवास स्थान का पूर्ण पताः– ....
   ....
3. आय का घोषणा पत्र देने वाले का पैन नम्बर (बीपीएल को छोड़कर) ....(जो स्पष्ट अंकित हो)
4. आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार नम्बर ....(जो स्पष्ट अंकित हो)
5. आय का घोषणा पत्र देने वाले का भामाशाह नम्बर ....(जो स्पष्ट अंकित हो)
6. आय का घोषणा पत्र देने वाले के समस्त स्त्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरणः– (सम्बधित पर चिन्हित करें, राजकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फार्म न. 16 भी संलग्न करें)

(1) कृषि भूमि(....................) आदि से आयः रू.		(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आयः रू. .....
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आयः रू..		(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, कारोबार, व्यवसाय या ब्याज, लाभांश से आयः रू. ....
(5) अन्य स्त्रोतों से आयः रू.		कुल वार्षिक आयः रू. ....

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक.................................

हस्ताक्षर..
आय की घोषणा करने वाले का नाम ....
मय विद्यार्थी से सम्बंध ....

प्रारूप भाग–II
(दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण–पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते है कि प्रार्थी / प्राथियॉ...पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ....निवासी...को भली प्रकार से जानते है। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी है। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी / प्राथियॉ के पास आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है।

(1) हस्ताक्षर / उत्तरदायी व्यक्ति
का नाम...
(पद नाम, दिनांक मय मो.न.)

(2) हस्ताक्षर / उत्तरदायी व्यक्ति
का नाम....................
(पद नाम, दिनांक मय मो.न.)

नोट :–(उत्तरदायी व्यक्ति यथा–संसद सदस्य / विधानसभा सदस्य / जिला प्रमुख / प्रधान / जिला परिषद सदस्य / सरपंच / वार्ड पंच / महापौर / उप महापौर / नगर निगम / नगर पालिका अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / वार्ड पार्षद / वार्ड मेम्बर / राजकीय अधिकारी / कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।)

प्रारूप भाग–III (शपथ –पत्र)

मैं ....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..शपथपूर्वक उद्‌घोषणा करता / करती हूँ कि मेरा / मेरी एवं मेरे पति / पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्त्रातों से कुल वार्षिक आय रू..............अक्षरे रू. ....है। उक्त शपथ–पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्‌घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं , यह अच्छी तरह समझता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरूद्व उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

प्रारूप भाग–IV(प्रमाणीकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम) ....पिता / पति का नाम .... आयु.....................निवासी..ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत की पहचान मेरे के द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी
का नाम मय पद एवं सील

(कार्यपालक मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / नायबतहसीलदार / नगर निकायों के अधिकारी / राजपत्रित अधिकारी / अन्य प्राधिकृत अधिकारी नोटरी पब्लिक / ऑथ कमिश्नर (रजिस्ट्रेशन क्रमांक) का नाम व पद मय मुहर

UNDERTAKING

(To be duly filled by the student and to submit in the office of UG Scholarship (Academic Section))

I, Mr/Ms____________________D/o, S/o Shri/Smt ______________________________in the category of (SC/ST/SBC/OBC/Gen.)________ residing at (parents permanent Address with mobile no.) ____

Mobile No. _________________a student of branch ___________________________ (studying year) _________________ bearing class ID.No. ____________________ of MNIT Jaipur during the session 2022-23 do here by solemnly declare that I will strictly adhere to the rules and regulation for the grant of "Post Matric Scholarship SC/ST/OBC (under category 17)/SBC/EBC and Mukhya Mantri Sarvajan Ichcha Shiksha Chhatravriti Yojana and undertake that :

1. I have read all the instruction of Post Matric Scholarship Rajasthan rules and have accordingly filled the application. All the filled data are true, if found wrong I will be responsible for any discrepancy. If any changes are made by me in all the uploaded scanned documents or any facts are hidden by me or any fact is distorted or any attempt is to be made to mislead Department/ Government/ Institute to get scholarship amount based on fouls forced by deception then government/institute is completely free to take an action to file a foreclosure case against me within IPC section 177, 197, 198, 199, 200 and 420.
2. Documents pertaining to the issuing authority Govt. of Rajasthan like: Aadhar card, Caste certificate and Domicile certificate, Income certificate, Death certificate, physically handicapped/challenge certificate (other documents attached by me which are not listed here) are according to the rules of issuing authority and my institute will not be responsible for any discrepancy.
3. My caste certificate has been issued according to order no. F11/SC/ST/OBC/SBC/C.C./SJE/1563606-726 dt 26.10.2015 and I am aware about the rules of this order.
4. I must secure minimum 75% attendance in the entire subject. I will inform to Scholarship office if my attendance is short in any subject.
5. I will maintain my CGPA not below 4.5.
6. I will not be involved in any strike or any act against the institute. If it is found wrong, the institute authority is free to take necessary action.
7. I am not in receipt of any stipend or scholarship from the Institute or any other sources. I am not employed anywhere. I will not sell, transfer and assign my scholarship to anybody.
8. I shall abide by all the rules, regulations, terms and conditions of the scholarship given by Uttar Pradesh Govt. and maintain discipline in the Institute. I undertake that if any stage, it is found by the sanctioning authority of the respective Ministry/Department/Institute that the information furnished by me is false or I have violated the terms and conditions of the scholarship, the scholarship sanctioned to me may be cancelled and the entire amount of the scholarship will be refunded by me or recovered from me or my parents, apart from the liability for such penal action as warranted by law or Institute Authority/Ministry/Department. I am also aware that if I found guilty by court then as a result I can be punished. Without this declaration, my proposal will not be accepted and I will be completely responsible for this.

Signature of the student

Malaviya National Institute of Technology

J A I P U R – 302017 (Rajasthan)

Documents submit in scholarship office for SJE Post Metric & CM scholarship for 2022-23 are under:-

1	Print out of Application with Profile.
2	Self Attested 10th M.Sheet copy
3	Self Attested 12th M.Sheet copy
4	Gap Certificate (For Fresh Student)
5	Jee Rank Card (For Fresh Student)
6	Provisional Admission Letter of MNIT (For Fresh Student)
7	Last two semester grade sheet With Signature of Assistant Registrar, Academic (for Renewal Student)
8	Aadhaar card copy.
9	Janadhar card copy.
10	Domicile/Bonafide/Mool Niwas copy.
11	Cast Certificate copy (OBC Certificate within 1year)
12	Bank passbook copy, Bank Account linked with Aadhar, Limit Amount Account, JanDhan Account not acceptable.
13	'D' Format of Income certificate original for 2022-23, **if parents are Government employee please attach form 16 with format 'D' & ITR Copy Assessment year 2022-23 (Financial Year 2021-22)**
14	Father Aadhar & Pan card copy attach with income certificate.
15	Fee Receipts 2022-23 (Institute & Hostel)
16	OBC student under 17 categories are requested to attaché document of category.
17	Fee Structure 2022-23. (Odd & Even Semester)
18	Undertaking (Attached).

Note:- According to SJE Guidelines point No. 11 Bio-Matric Attendance in Scholarship office Mandatory after form filling.

UNIFIED SCHOLARSHIP PORTAL, GOVT. OF RAJASTHAN

(https://scholarship.rajasthan.gov.in)

STUDENT MANUAL

Mentioned below is the detailed step-by-step process of how an APPLICANT (Student) can register on Unified Scholarship Portal, Govt. of Rajasthan and subsequently submit his/ her scholarship application under various departmental schemes. Alternatively, the applicant can submit the application at nearest EMITRA KIOSK across Rajasthan state.

1) To start with, applicant i.e. student visits the Unified Scholarship Portal by opening the URL mentioned above and following appears on the screen.

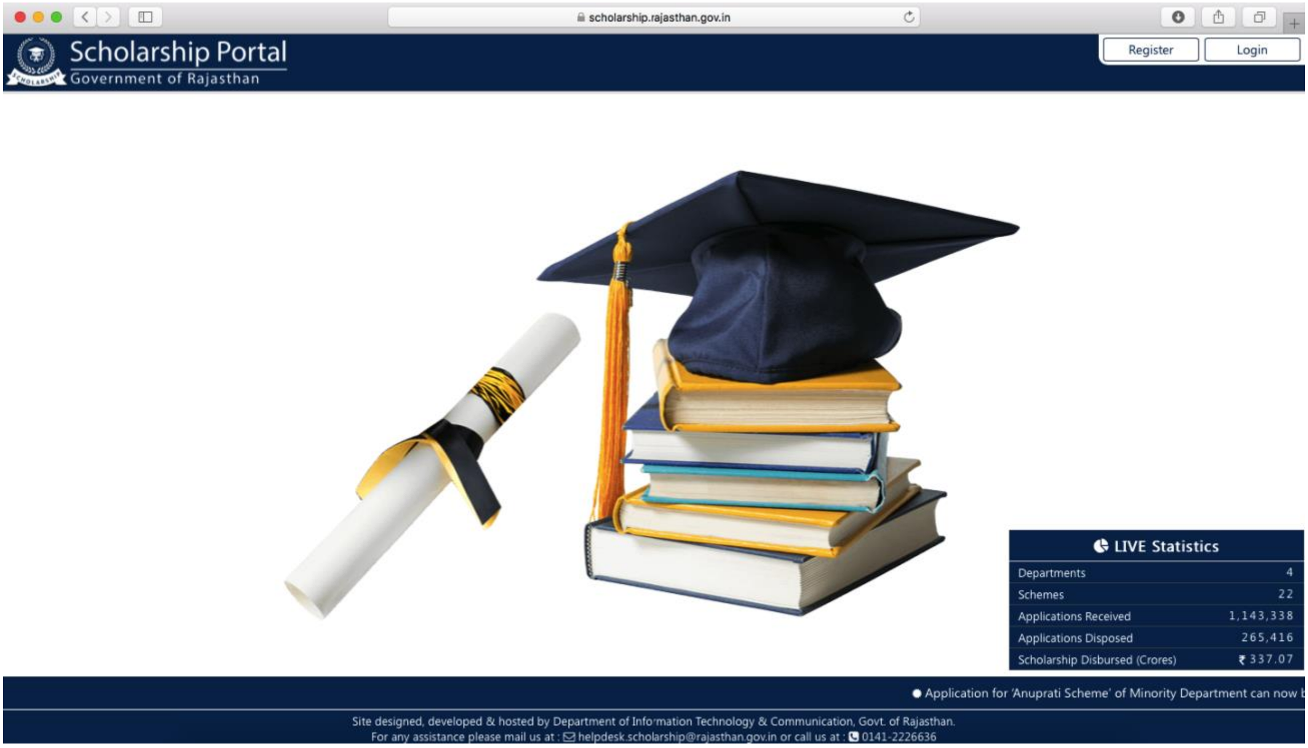

2) First-time applicant clicks on the REGISTER button to register on RajSSO portal to get his/ her one-time SSOID/ Password. This is a one-time process and would allow him to access all the govt. applications (50+) available on RajSSO portal.

Upon clicking the REGISTER button, following appears on screen and applicant is prompted to choose a mechanism for creation of SSOID/ Password. The applicant selects an appropriate option (preferably AADHAAR or BHAMASHAH) and creates his/ her one-time SSOID/ Password.

(Note: If the applicant is already registered on RajSSO portal i.e. already have his/ her SSOID and Password then he/ she can directly click on LOGIN button at Scholarship portal to continue.)

<u>REGISTRATION Screen</u>

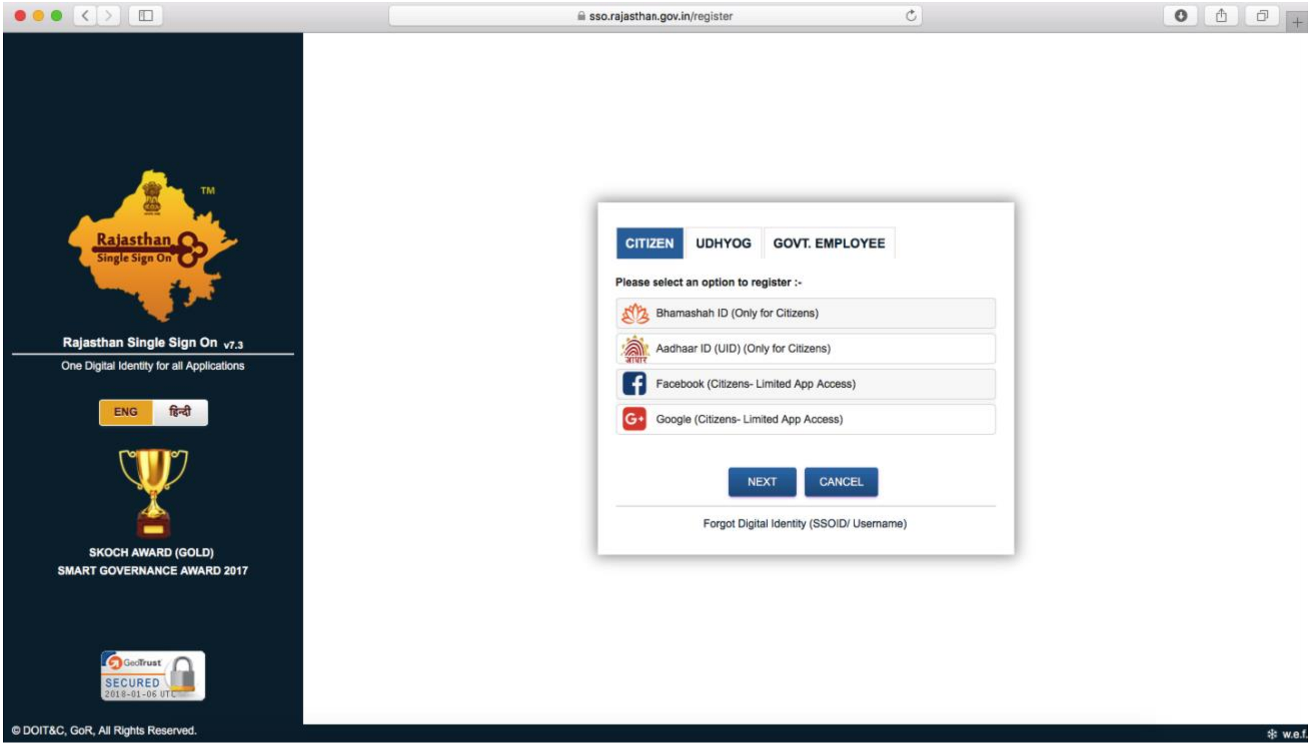

LOGIN SCREEN

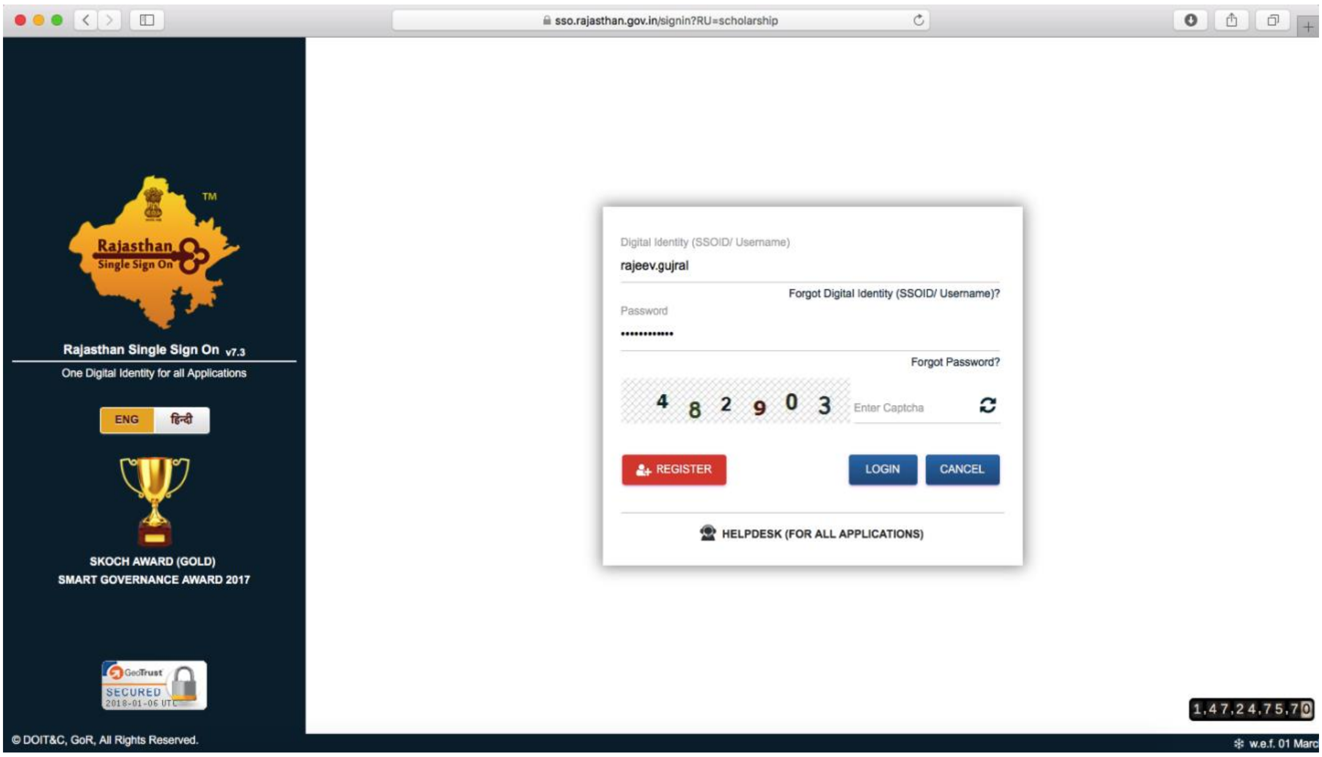

3) Post-Login, following screen is presented to the first-time applicant i.e. student and he/ she must select STUDENT option only and click the OK button to continue.
(Note: Since the scholarship schemes are delivered using BHAMASHAH DBT platform, it is mandatory for the applicant to have BHAMASHAH FAMILY ID or Enrollment ID updated in his/ her SSO Profile. If not done, then portal will display an error message regarding same and exit. Hence, please ensure that BHAMASHAH is updated in SSO Profile (displayed on first login). It is also recommended to update AADHAAR in SSO Profile.
If the applicant does not have BHAMASHAH FAMILY ID/ ENROLLMENT ID i.e. have not enrolled under BHAMASHAH scheme, it can be done online at http://bhamashah.rajasthan.gov.in or at nearest EMITRA KIOSK across Rajasthan).

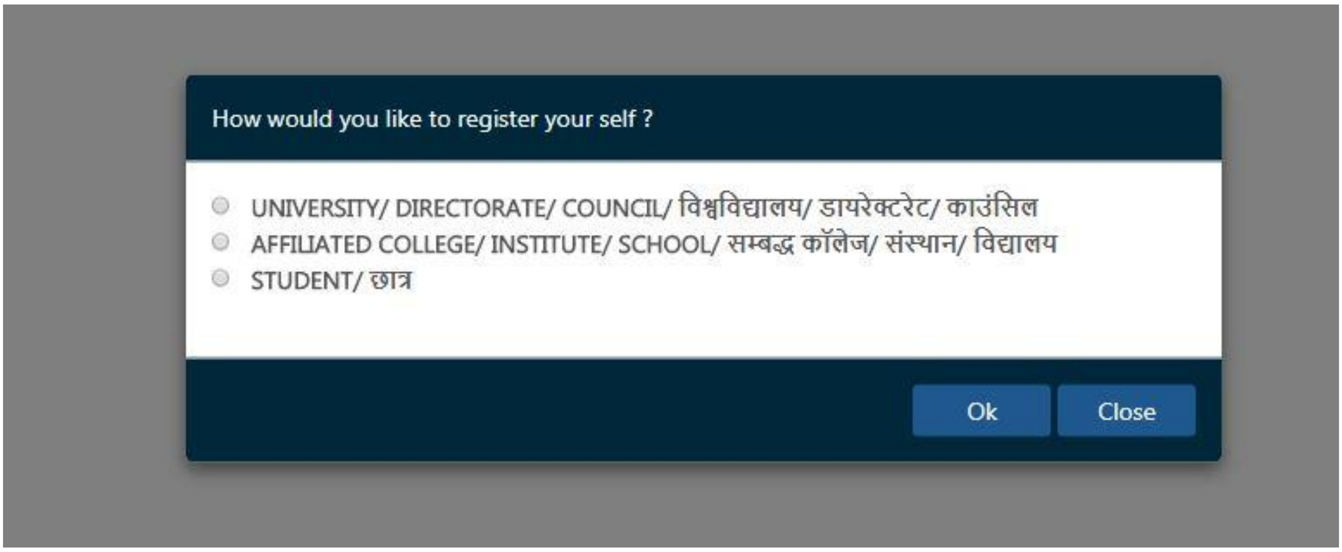

4) If the BHAMASHAH FAMILY ID/ ENROLLMENT ID is mentioned in SSO Profile, Scholarship portal would automatically fetch the same and display all the family member's name on screen (as per information from Bhamashah Server and as specified during Bhamashah Enrollment).

The applicant is required to select his/ her name then specify his/ her 12 digit AADHAAR/ UID Number for verification using OTP/ Fingerprint.

(Note: If the specified AADHAAR/ UID number does not match with that specified in Bhamashah Enrollment, the system would display an error message and exit i.e. would not allow applicant to continue. In such cases, it is required that applicant first update his/ her AADHAAR in Bhamashah and then continue with Scholarship portal).

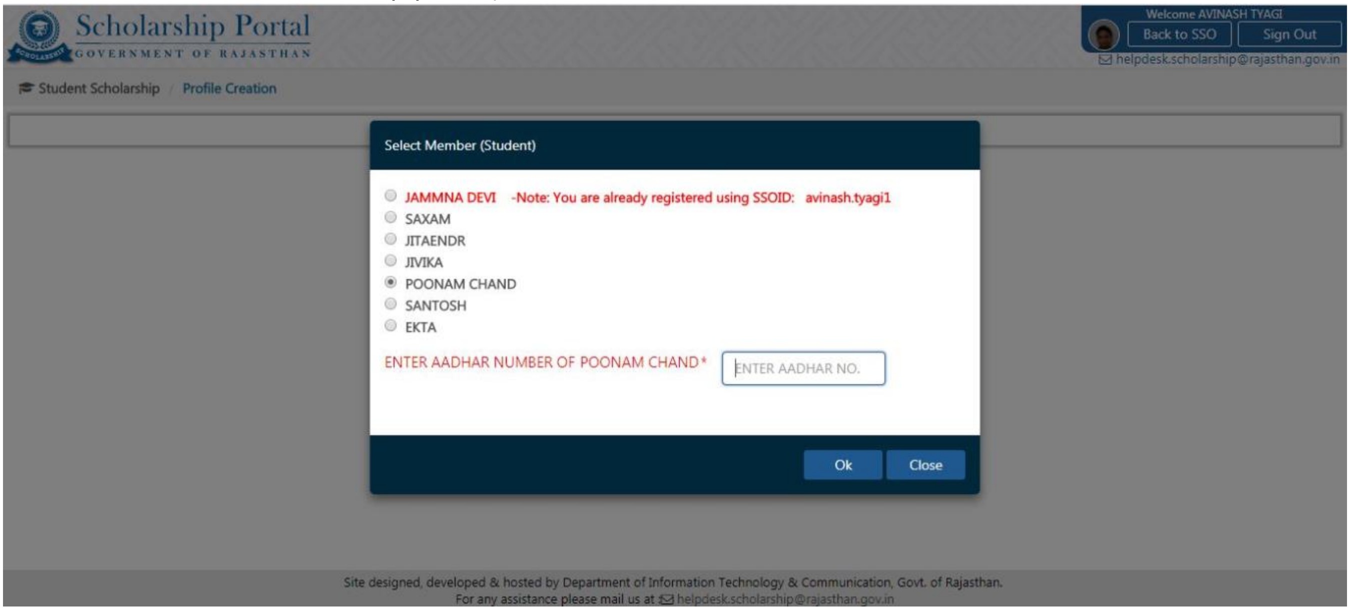

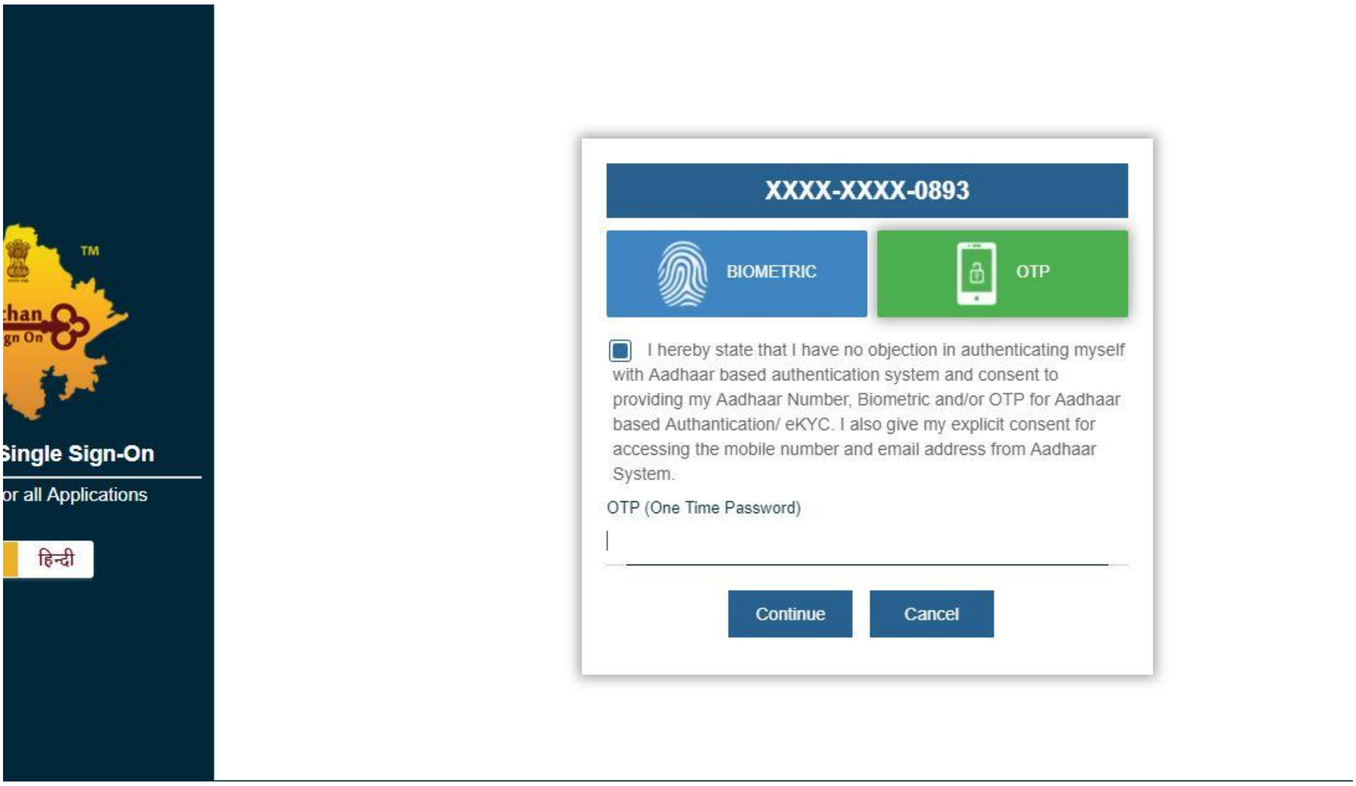

5) After successful AADHAAR/ UID verification, the applicant is presented with the one-time PROFILE creation form as shown below wherein most of the information is pre-filled from BHAMASHAH Server and only few fields and few mandatory documents are required to be filled/ uploaded by the applicant. (Note: If any required mandatory field like Permanent Address, Cast Bank A/c details etc. are not pre-filled using Bhamashah server then system would display an error message and exit. In such cases, all such fields are first required to be updated in Bhamashah Server and then applicant can continue with Scholarship portal).

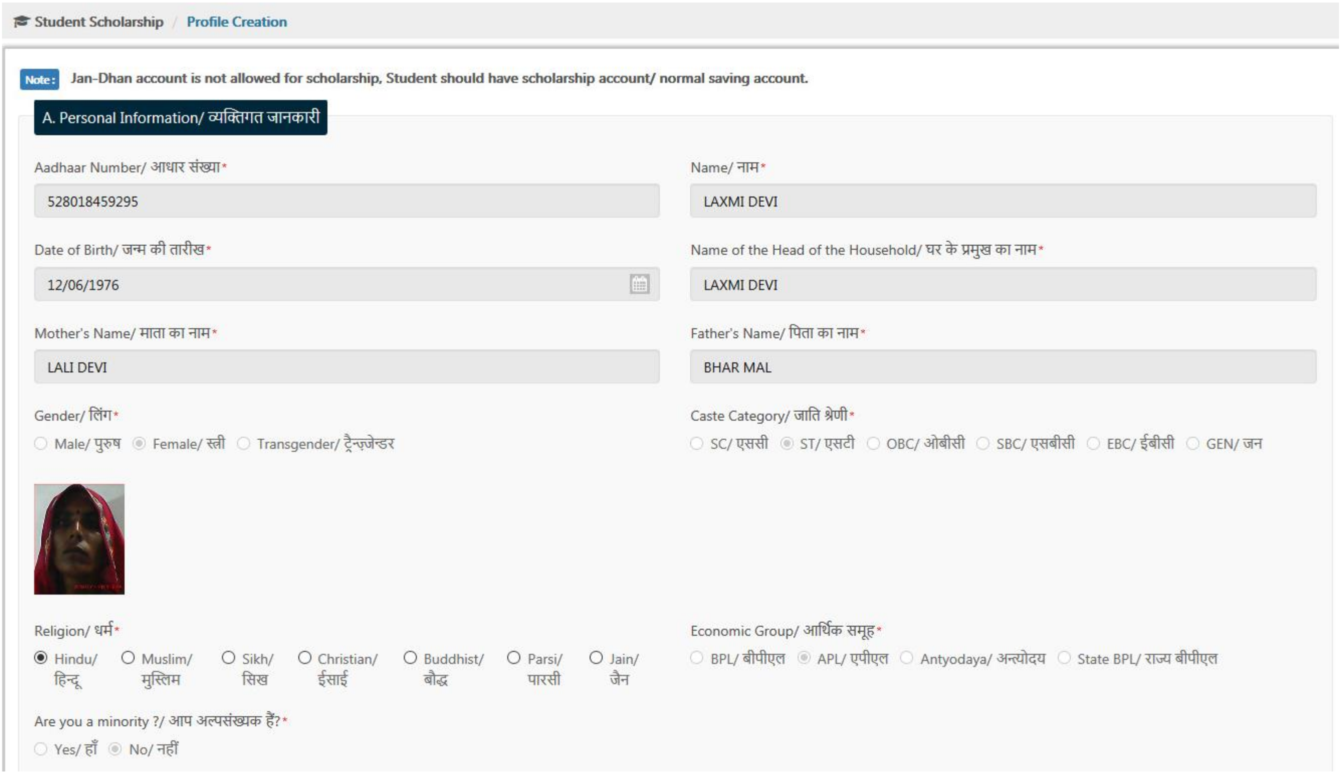
Student Scholarship / Profile Creation

Note: Jan-Dhan account is not allowed for scholarship, Student should have scholarship account/ normal saving account.

A. Personal Information/ व्यक्तिगत जानकारी

Aadhaar Number/ आधार संख्या*: 528018459295

Name/ नाम*: LAXMI DEVI

Date of Birth/ जन्म की तारीख*: 12/06/1976

Name of the Head of the Household/ घर के प्रमुख का नाम*: LAXMI DEVI

Mother's Name/ माता का नाम*: LALI DEVI

Father's Name/ पिता का नाम*: BHAR MAL

Gender/ लिंग*: Male/ पुरुष · Female/ स्त्री (selected) · Transgender/ ट्रैन्ज़्जेन्डर

Caste Category/ जाति श्रेणी*: SC/ एससी · ST/ एसटी (selected) · OBC/ ओबीसी · SBC/ एसबीसी · EBC/ ईबीसी · GEN/ जन

Religion/ धर्म*: Hindu/ हिन्दू (selected) · Muslim/ मुस्लिम · Sikh/ सिख · Christian/ ईसाई · Buddhist/ बौद्ध · Parsi/ पारसी · Jain/ जैन

Economic Group/ आर्थिक समूह*: BPL/ बीपीएल · APL/ एपीएल (selected) · Antyodaya/ अन्त्योदय · State BPL/ राज्य बीपीएल

Are you a minority ?/ आप अल्पसंख्यक हैं?*: Yes/ हाँ · No/ नहीं (selected)

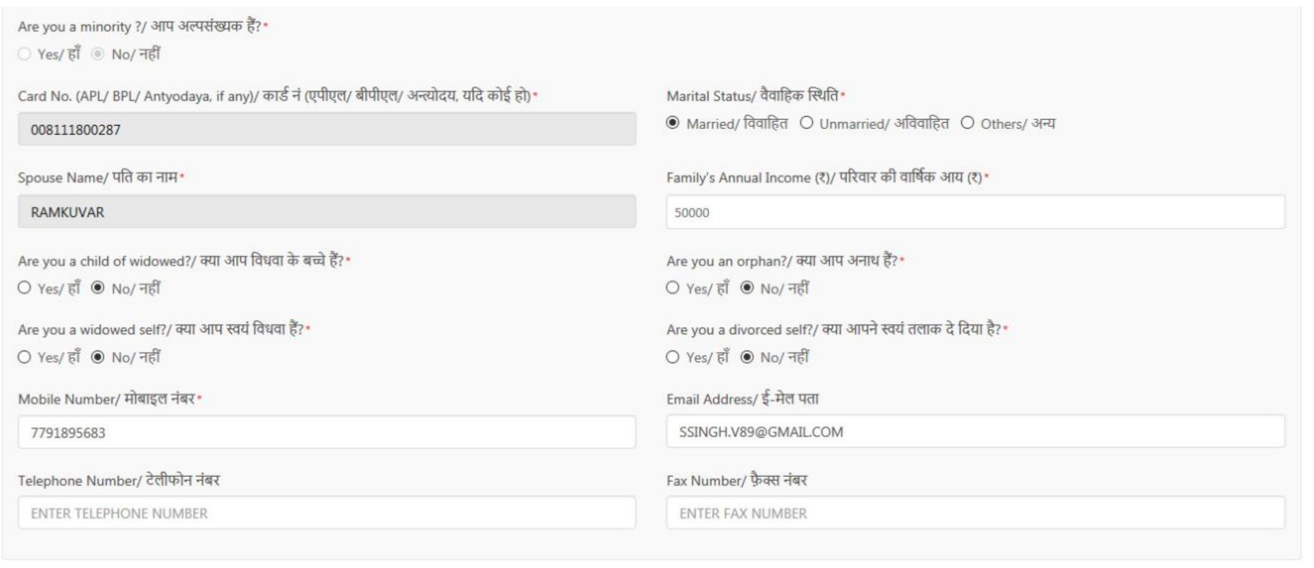
Are you a minority ?/ आप अल्पसंख्यक हैं?*: Yes/ हाँ · No/ नहीं (selected)

Card No. (APL/ BPL/ Antyodaya, if any)/ कार्ड नं (एपीएल/ बीपीएल/ अन्त्योदय, यदि कोई हो)*: 008111800287

Marital Status/ वैवाहिक स्थिति*: Married/ विवाहित (selected) · Unmarried/ अविवाहित · Others/ अन्य

Spouse Name/ पति का नाम*: RAMKUVAR

Family's Annual Income (₹)/ परिवार की वार्षिक आय (₹)*: 50000

Are you a child of widowed?/ क्या आप विधवा के बच्चे हैं?*: Yes/ हाँ · No/ नहीं (selected)

Are you an orphan?/ क्या आप अनाथ हैं?*: Yes/ हाँ · No/ नहीं (selected)

Are you a widowed self?/ क्या आप स्वयं विधवा हैं?*: Yes/ हाँ · No/ नहीं (selected)

Are you a divorced self?/ क्या आपने स्वयं तलाक दे दिया है?*: Yes/ हाँ · No/ नहीं (selected)

Mobile Number/ मोबाइल नंबर*: 7791895683

Email Address/ ई-मेल पता: SSINGH.V89@GMAIL.COM

Telephone Number/ टेलीफोन नंबर: ENTER TELEPHONE NUMBER

Fax Number/ फ़ैक्स नंबर: ENTER FAX NUMBER

B. Permanent Address/ स्थायी पता

Rural/ Urban/ ग्रामीण/ शहरी*

◉ Rural/ ग्रामीण ○ Urban/ शहरी

Field	Value
House/ Building/ Apartment No./ घर/ निर्माण/ अपार्टमेंट नं.	ENTER HOUSE/ BUILDING/ APARTMENT NO.
Street/ Road/ Lane/ स्ट्रीट/ रोड/ लेन*	STREET
Landmark/ सीमा चिन्ह	ENTER LANDMARK
Area/ Locality/ Sector/ क्षेत्र/ स्थान/ खंड*	AREA
District/ जिला*	JAIPUR
City/ Block/ Panchayat Samiti/ शहर/ ब्लॉक/ पंचायत समिति*	CHAKSU/ चाकसू
Gram Panchayat/ Ward Number/ ग्राम पंचायत/ वार्ड संख्या*	GAROODWASI/ गरूडवासी
Village/ गांव*	BARH RAJPURA/ बाढ़ राजपुरा
Tehsil/ तहसील*	MAUZAMABAD
Post Office/ डाक घर	ENTER POST OFFICE
Pin Code/ पिन कोड*	303901

C. Current Address/ वर्तमान पता

Is current address is different from permanent address?/ क्या वर्तमान पता स्थायी पता से अलग है?

○ Yes/ हाँ ◉ No/ नहीं

D. Constituency/ निर्वाचन क्षेत्र

Field	Value
MP Constituency/ एमपी निर्वाचन क्षेत्र*	JAIPUR RURAL (RAJYAVARDHAN SINGH RATHORE)
MLA Constituency/ एमएलए निर्वाचन क्षेत्र*	CHOMU (RAMLAL SHARMA)

E. Bank Details/ बैंक का विवरण

Is your account Jan-Dhan type?/ आपका खाता जन धन प्रकार का है?*

○ Yes/ हाँ ◉ No/ नहीं

Field	Value
Bank Name/ बैंक का नाम*	CANARA BANK
Branch Name/ शाखा नाम	ENTER BRANCH NAME
Account Number/ खाता संख्या*	1907101003166
Bank State/ बैंक का राज्य*	RAJASTHAN
IFSC Code/ आईएफएससी कोड*	CNRB0001907
PAN Card Number/ पैन कार्ड नंबर	ENTER 10-CHARACTER PAN CARD NUMBER

Field	Value
Domicile/ Bonafide Issuing District/ मूल निवास जारी करने वाला जिला*	JAIPUR
Domicile Issuing Tehsil/ मूल निवास जारी करने वाला तहसील*	PHAGI
Domicile Certificate/ मूल निवास प्रमाण-पत्र*	Browse... 22090975-8e1d-4177-9826-e1f5660ace1b.pdf
Family's Annual Income Certificate/ परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र*	Browse... 22090975-8e1d-4177-9826-e1f5660ace1b.pdf
Marriage Certificate/ विवाह का प्रमाण-पत्र*	Browse... 22090975-8e1d-4177-9826-e1f5660ace1b.pdf

* ☑ I. उपरोक्त ऑनलाइन आवेदन में मेरे द्वारा दी गयी सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है|
II. ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गयी प्रतिया सही है तथा किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गयी हैं|
III. मैं यह बात अच्छी तरह से समझता हूँ कि मेरे द्वारा दस्तावेजों में फेर बदल किया गया या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या मैंने सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया हैं या छल – कपट बेईमानी के आधार पर छात्रवर्ती राशी प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है तो सरकार आईपीसी के धारा 177 , 197, 198, 199,200 एवं 420 के तहत मेरे विरुद्ध फोजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए विभाग पूर्णत स्वतंत्र है | मैं यह भी जानता हूँ कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है|

Submit | Close

6) After filling all the required profile information and uploading the required mandatory documents in the screen above, the applicant clicks the SUBMIT button and the following confirmation is displayed indicating that applicant profile (one-time) has been created successfully on Scholarship Portal and information provided therein would be automatically used by portal while submitting the scholarship application(s). SMS/ Email Notification is also sent to the applicant.

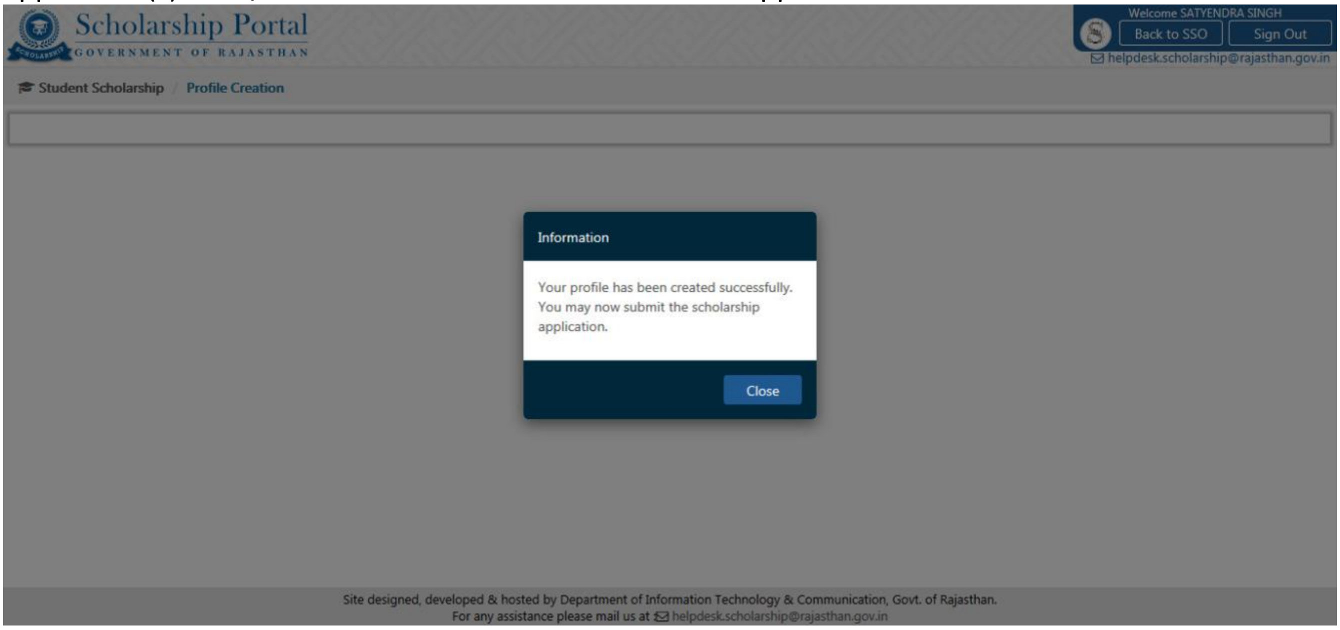

7) Applicant is presented the STUDENT DASHBOARD as shown below. He/ She click on the NEW APPLICATION option in the Menu to submit Scholarship Application for open/ active departmental schemes.

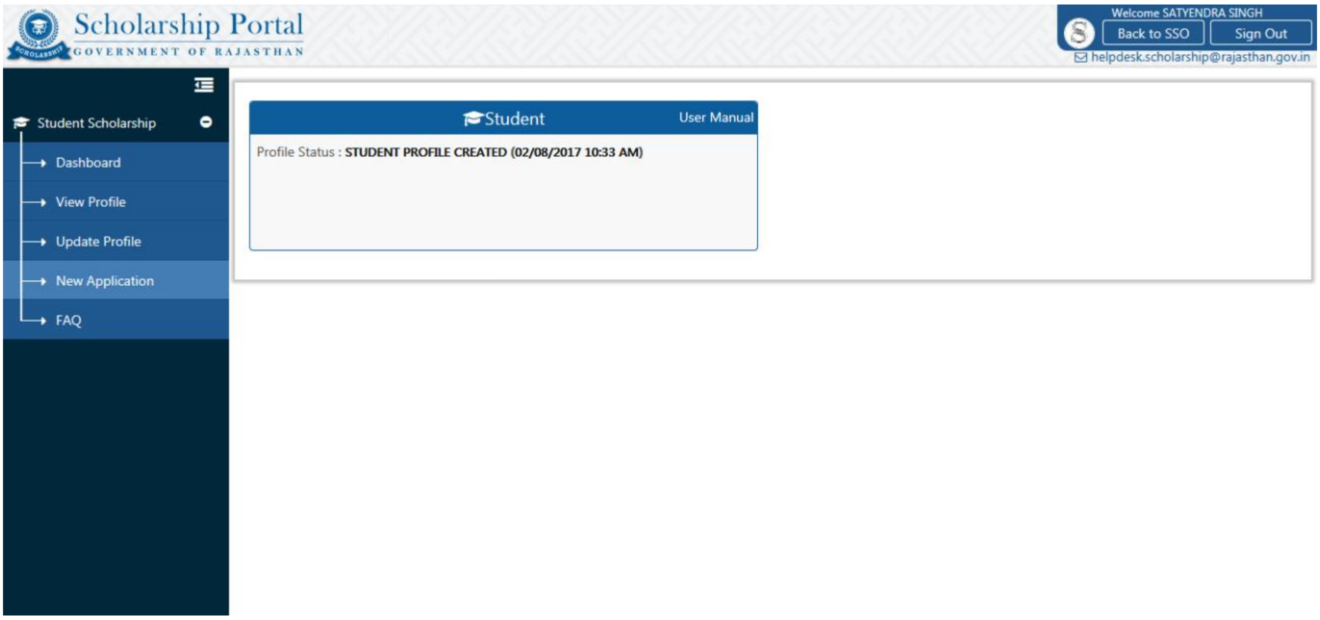

8) Upon clicking the NEW APPLICATION in the menu, AADHAAR/ UID authentication/ verification takes place as shown below. The applicant can select either OTP or BIOMETRIC for AADHAAR/ UID authentication/ verification.

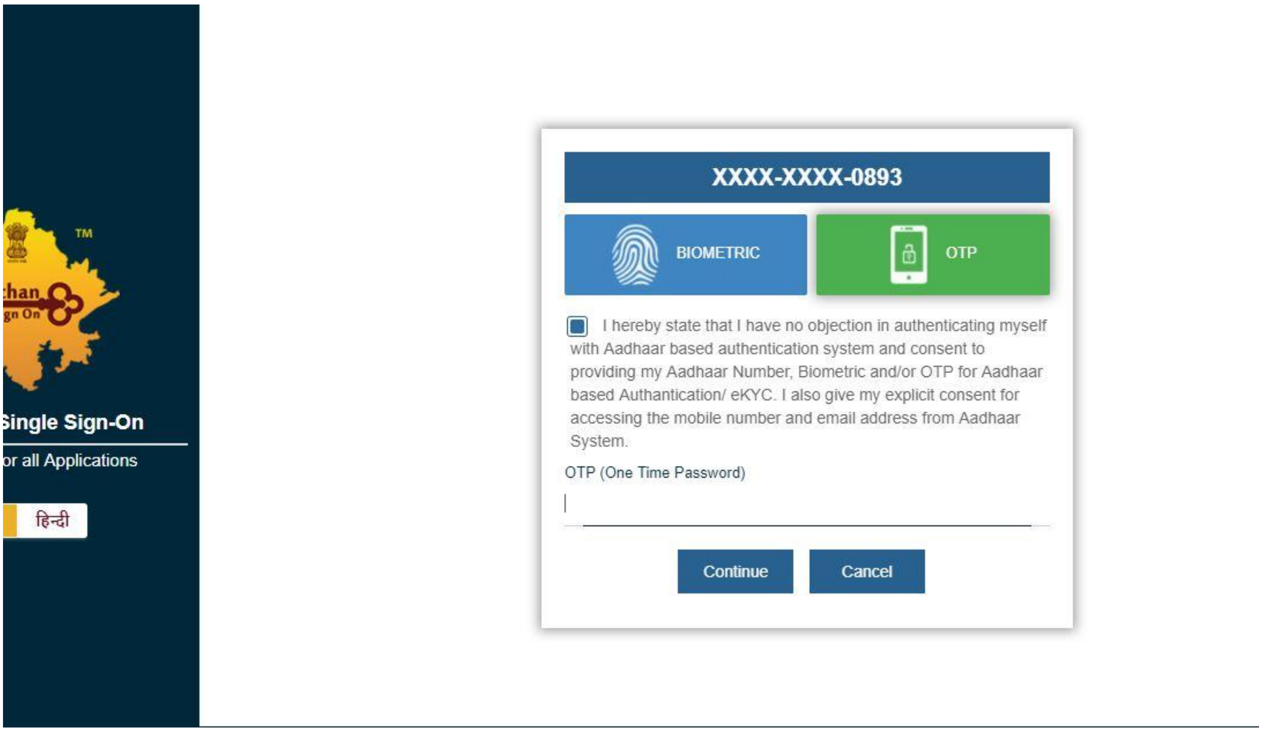

9) After successful AADHAAR/ UID authentication/ verification, applicant is present with the list of schemes he/ she is eligible for as per his/ her profile information. Also, is displayed the information about selected scheme. (Note: If some scheme is not visible then it signifies that applicant is not eligible for same.)

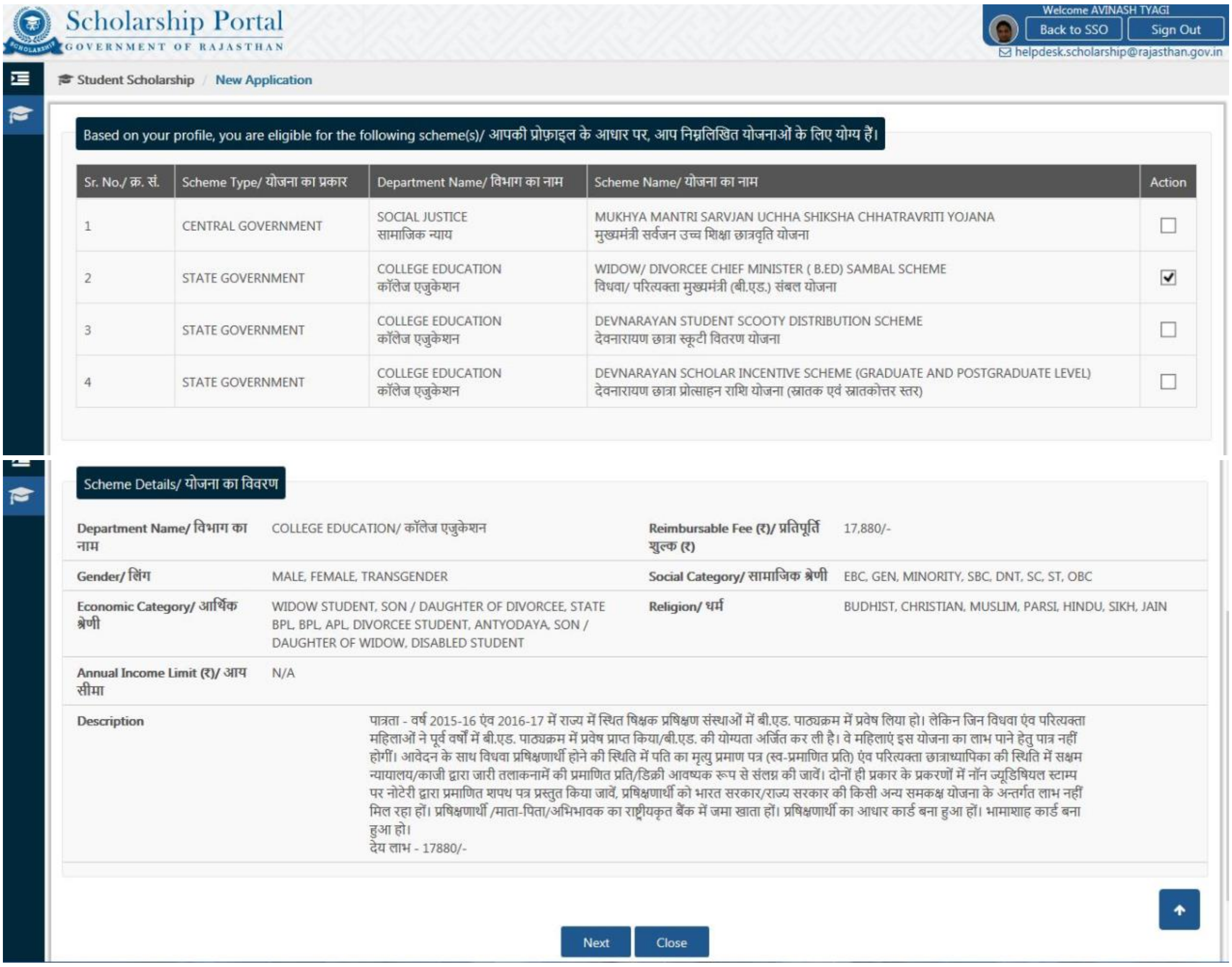

Sr. No./ क्र. सं.	Scheme Type/ योजना का प्रकार	Department Name/ विभाग का नाम	Scheme Name/ योजना का नाम	Action
1	CENTRAL GOVERNMENT	SOCIAL JUSTICE सामाजिक न्याय	MUKHYA MANTRI SARVJAN UCHHA SHIKSHA CHHATRAVRITI YOJANA मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना	☐
2	STATE GOVERNMENT	COLLEGE EDUCATION कॉलेज एजुकेशन	WIDOW/ DIVORCEE CHIEF MINISTER (B.ED) SAMBAL SCHEME विधवा/ परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना	☑
3	STATE GOVERNMENT	COLLEGE EDUCATION कॉलेज एजुकेशन	DEVNARAYAN STUDENT SCOOTY DISTRIBUTION SCHEME देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना	☐
4	STATE GOVERNMENT	COLLEGE EDUCATION कॉलेज एजुकेशन	DEVNARAYAN SCHOLAR INCENTIVE SCHEME (GRADUATE AND POSTGRADUATE LEVEL) देवनारायण छात्रा प्रोत्साहन राशि योजना (स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर)	☐

Scheme Details/ योजना का विवरण

Department Name/ विभाग का नाम	COLLEGE EDUCATION/ कॉलेज एजुकेशन	Reimbursable Fee (₹)/ प्रतिपूर्ति शुल्क (₹)	17,880/-
Gender/ लिंग	MALE, FEMALE, TRANSGENDER	Social Category/ सामाजिक श्रेणी	EBC, GEN, MINORITY, SBC, DNT, SC, ST, OBC
Economic Category/ आर्थिक श्रेणी	WIDOW STUDENT, SON / DAUGHTER OF DIVORCEE, STATE BPL, BPL, APL, DIVORCEE STUDENT, ANTYODAYA, SON / DAUGHTER OF WIDOW, DISABLED STUDENT	Religion/ धर्म	BUDHIST, CHRISTIAN, MUSLIM, PARSI, HINDU, SIKH, JAIN
Annual Income Limit (₹)/ आय सीमा	N/A		

Description

पात्रता - वर्ष 2015-16 एंव 2016-17 में राज्य में स्थित षिक्षक प्रषिक्षण संस्थाओं में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेष लिया हो। लेकिन जिन विधवा एंव परित्यक्ता महिलाओं ने पूर्व वर्षों में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेष प्राप्त किया/बी.एड. की योग्यता अर्जित कर ली है। वे महिलाएं इस योजना का लाभ पाने हेतु पात्र नहीं होगीं। आवेदन के साथ विधवा प्रषिक्षणार्थी होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (स्व-प्रमाणित प्रति) एंव परित्यक्ता छात्राध्यापिका की स्थिति में सक्षम न्यायालय/काजी द्वारा जारी तलाकनामें की प्रमाणित प्रति/डिक्री आवष्यक रूप से संलग्न की जावें। दोनों ही प्रकार के प्रकरणों में नॉन ज्यूडिषियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावें, प्रषिक्षणार्थी को भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य समकक्ष योजना के अन्तर्गत लाभ नहीं मिल रहा हों। प्रषिक्षणार्थी /माता-पिता/अभिभावक का राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा खाता हों। प्रषिक्षणार्थी का आधार कार्ड बना हुआ हों। भामाशाह कार्ड बना हुआ हो।
देय लाभ - 17880/-

Next Close

10) The applicant selects the desired scheme and clicks the NEXT button in the previous screen and then he/ she is presented with the Scholarship Application Form for respective Scheme as shown below.

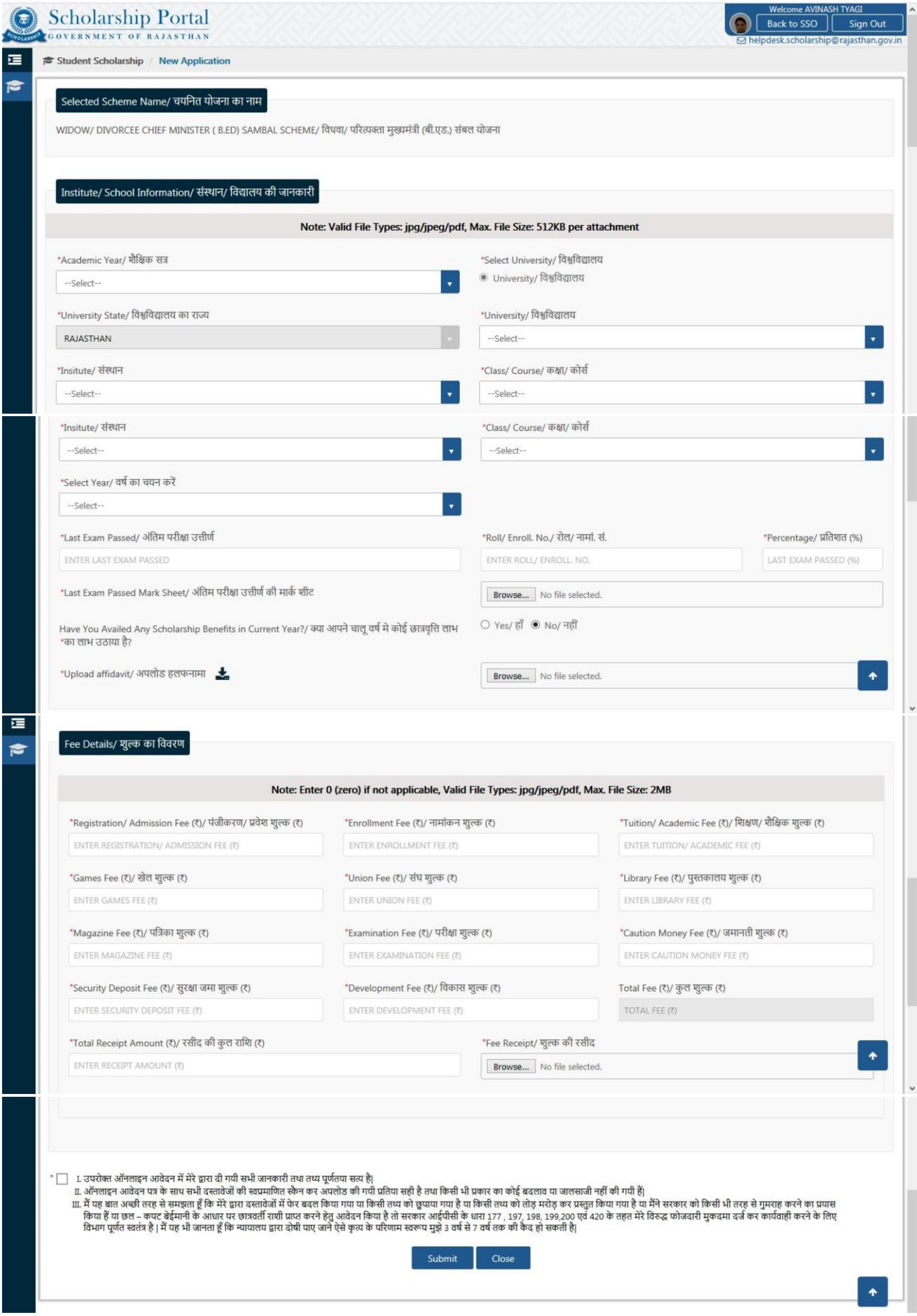

Scholarship Portal
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Welcome AVINASH TYAGI
Back to SSO | Sign Out
helpdesk.scholarship@rajasthan.gov.in

Student Scholarship / New Application

Selected Scheme Name/ चयनित योजना का नाम

WIDOW/ DIVORCEE CHIEF MINISTER (B.ED) SAMBAL SCHEME/ विधवा/ परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना

Institute/ School Information/ संस्थान/ विद्यालय की जानकारी

Note: Valid File Types: jpg/jpeg/pdf, Max. File Size: 512KB per attachment

*Academic Year/ शैक्षिक सत्र: --Select--

*Select University/ विश्वविद्यालय: University/ विश्वविद्यालय

*University State/ विश्वविद्यालय का राज्य: RAJASTHAN

*University/ विश्वविद्यालय: --Select--

*Insitute/ संस्थान: --Select--

*Class/ Course/ कक्षा/ कोर्स: --Select--

*Insitute/ संस्थान: --Select--

*Class/ Course/ कक्षा/ कोर्स: --Select--

*Select Year/ वर्ष का चयन करें: --Select--

*Last Exam Passed/ अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण: ENTER LAST EXAM PASSED

*Roll/ Enroll. No./ रोल/ नामां. सं.: ENTER ROLL/ ENROLL. NO.

*Percentage/ प्रतिशत (%): LAST EXAM PASSED (%)

*Last Exam Passed Mark Sheet/ अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की मार्क शीट: Browse... No file selected.

Have You Availed Any Scholarship Benefits in Current Year?/ क्या आपने चालू वर्ष मे कोई छात्रवृत्ति लाभ *का लाभ उठाया है?: Yes/ हाँ No/ नहीं

*Upload affidavit/ अपलोड हलफनामा: Browse... No file selected.

Fee Details/ शुल्क का विवरण

Note: Enter 0 (zero) if not applicable, Valid File Types: jpg/jpeg/pdf, Max. File Size: 2MB

*Registration/ Admission Fee (₹)/ पंजीकरण/ प्रवेश शुल्क (₹): ENTER REGISTRATION/ ADMISSION FEE (₹)

*Enrollment Fee (₹)/ नामांकन शुल्क (₹): ENTER ENROLLMENT FEE (₹)

*Tuition/ Academic Fee (₹)/ शिक्षण/ शैक्षिक शुल्क (₹): ENTER TUITION/ ACADEMIC FEE (₹)

*Games Fee (₹)/ खेल शुल्क (₹): ENTER GAMES FEE (₹)

*Union Fee (₹)/ संघ शुल्क (₹): ENTER UNION FEE (₹)

*Library Fee (₹)/ पुस्तकालय शुल्क (₹): ENTER LIBRARY FEE (₹)

*Magazine Fee (₹)/ पत्रिका शुल्क (₹): ENTER MAGAZINE FEE (₹)

*Examination Fee (₹)/ परीक्षा शुल्क (₹): ENTER EXAMINATION FEE (₹)

*Caution Money Fee (₹)/ जमानती शुल्क (₹): ENTER CAUTION MONEY FEE (₹)

*Security Deposit Fee (₹)/ सुरक्षा जमा शुल्क (₹): ENTER SECURITY DEPOSIT FEE (₹)

*Development Fee (₹)/ विकास शुल्क (₹): ENTER DEVELOPMENT FEE (₹)

Total Fee (₹)/ कुल शुल्क (₹): TOTAL FEE (₹)

*Total Receipt Amount (₹)/ रसीद की कुल राशि (₹): ENTER RECEIPT AMOUNT (₹)

*Fee Receipt/ शुल्क की रसीद: Browse... No file selected.

* I. उपरोक्त ऑनलाइन आवेदन में मेरे द्वारा दी गयी सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है|
II. ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गयी प्रतिया सही है तथा किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गयी हैं|
III. मैं यह बात अच्छी तरह से समझता हूँ कि मेरे द्वारा दस्तावेजों में फेर बदल किया गया या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या मैंने सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया हैं या छल – कपट बेईमानी के आधार पर छात्रवर्ती राशी प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है तो सरकार आईपीसी के धारा 177 , 197, 198, 199,200 एवं 420 के तहत मेरे विरुद्ध फोजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए विभाग पूर्णत स्वतंत्र है | मैं यह भी जानता हूँ कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है|

Submit | Close

(Note: While filling the application form, if the applicant's University/ College/ Institute/ School name is not visible in the list then it means that respective University/ College/ Institute/ School has either not registered on Scholarship Portal or their Course-Mapping request is pending with respective Parent Body it is affiliated with. In such cases, applicant should contact his/ her University/ College/ Institute/ School and verify the same.)

11) Upon successful application submission, system displays the confirmation message as shown below which includes the unique application number (SCHOALRSHIP/2017-18/XXXXXX) and same should be kept safe by applicant for tracking the application status until the scholarship application is approved and amount is disbursed. SMS/ Email notification is also sent to the applicant.

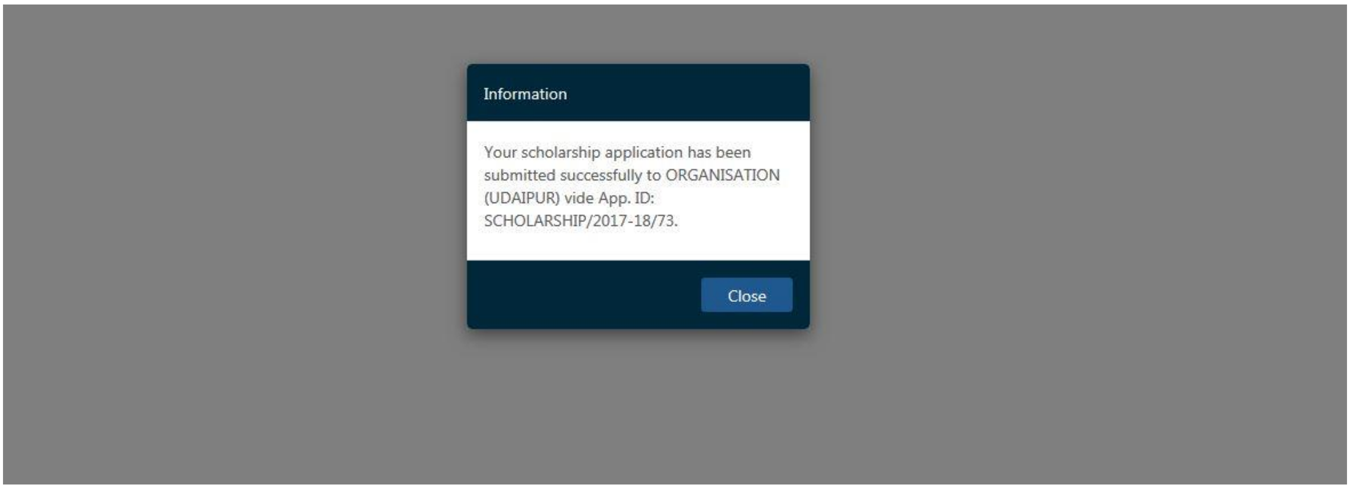

12) Since the application submission is complete, the system redirects the applicant back to the STUDENT DASHBOARD where he/ she can track the current status of all the applications submitted by him/ her.

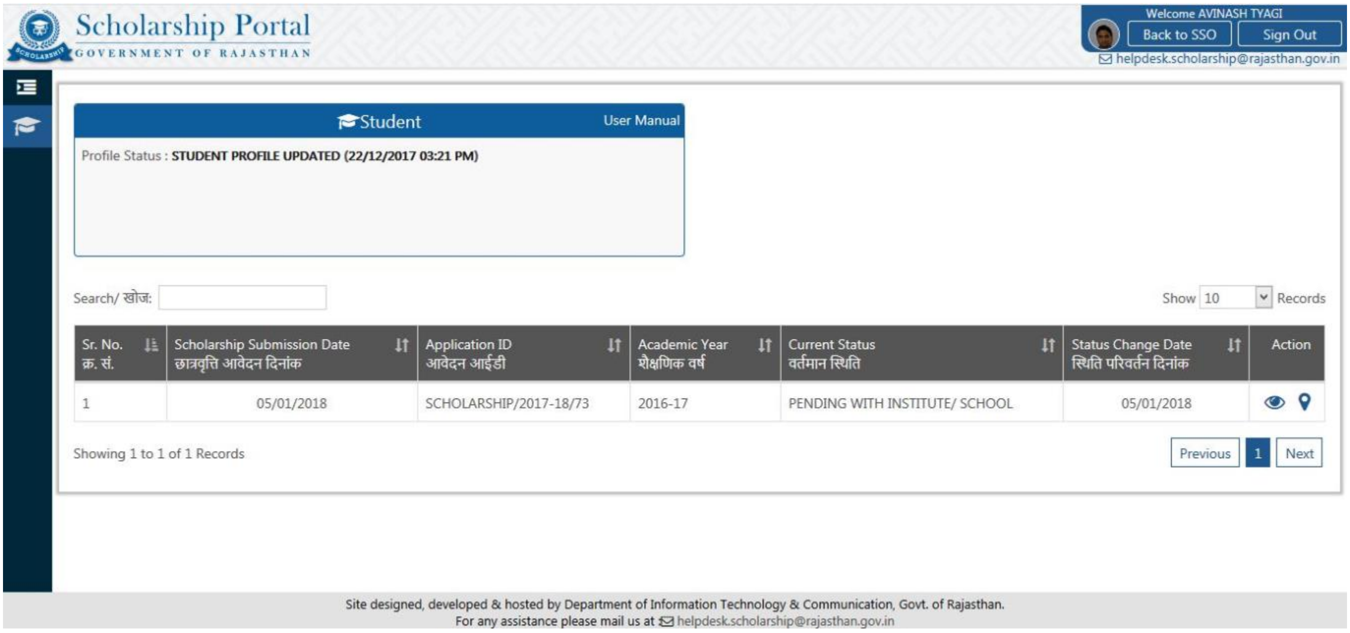

13) This competed the application submission by APPLICANT. Further, whenever the application is processed by respective University/ College/ Institute/ School/ Departmental officers, real-time SMS/ Email notifications are sent to the applicant's mobile number and Email provided in the Profile.

THANK YOU